रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

विकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 48 ● अंक – 12 ● कानपुर 16 से 30 जून 2026 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

धीरे – धीरे ही सही

मान्यता का प्रपोज़ल अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मार्ग उ0प्र0 से होकर जायेगा

आदेश कुछ भी हो

भारत सरकार के 21 जून, 2011 का आदेश रहेगा सर्वोपरि

- ✓ 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को लोगों ने की गलत व्याख्या
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसासिएशन ऑफ़ इण्डिया ने किया धमाल
- ✓ मजबूरन भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 05–05– 2010 को देना पड़ गया स्पष्टीकरण

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 25–11–2003 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश किया था जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं की जा सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

इसकी हमारे कुछ विद्वान साथियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी और इसका बखान सोशल मीडिया पर अपने–अपने ढंग से किया था, तब कुछ भोले–भाले लोगों ने समझ लिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता समाप्त हो गयी है,(अरे ज़रा मस्तिष्क पर ज़ोर देते तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाता कि मान्यता तो तब समाप्त होती है जब मान्यता मिली होती है, यहाँ पर तो मामला ही अलग है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मामला तो अभी भी विचाराधीन है) अन्ततः इस आदेश पर भारत सरकार को 05–05– 2010 को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, बशर्ते यह 25–11– 2003 के अनुसार की जाये, इस आदेश के बाद भी संशय बना हुआ था तब आपकी अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाइ) ने पहल की जिसके फलस्वरूप भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून, 2011 को एक स्पष्ट आदेश जारी करते हुए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि 25–11– 2003 एवं 5–5–2010 के आदेश को भारत सरकार का निर्देश माना जाये, भारत सरकार के इस आदेश का अनुपालन करते हुए उ0प्र0 राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में दिनांक 04 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किया जिसमें उल्लेख किया कि –

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 एवं 5–5–2010 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि.....

" तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि यह दिनांक 25–11–03 के आदेश संख्या आर–14015/25/96 यू0 एण्ड एच0 (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो, मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जावेगा।"

उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले ही मान चुकी है कि मान्यता

शेष पेज 2 पर

जनपदीय पंजीयन क्यों आवश्यक?

यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ चिकित्सा करने वाले समस्त अधिकृत चिकित्सकों एवं चिकित्सा प्रतिष्ठानों के जनपदीय पंजीयन की व्यवस्था है अर्थात जो चिकित्सक जनपद स्तर पर पंजीकृत होता है उसकी पहचान अधिकृत चिकित्सक के रुप में की जाती है।

जनपदीय पंजीयन की उत्पत्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या–820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश 28 जनवरी, 2004 से हुयी, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा देने वाले चिकित्सकों व चिकित्सा प्रतिष्ठानों का पंजीयन ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में निश्चित रुप से होना चाहिये, जो चिकित्सक अथवा चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीयन नहीं करायेंगे वे स्वतः अवैध की श्रेणी में मान लिये जायेंगे, इसी प्रकार प्रदेश में प्रमाण–पत्र जारी करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रदेश के प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में निश्चित रुप से कराया जाये जो संस्थायें प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में पंजीयन नहीं करायेंगे उनके द्वारा जारी प्रमाण–पत्र चिकित्सा कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं मानें जायेंगे अर्थात उन्हें भी अवैध गतिविधि की श्रेणी में माना जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में अनेकों शासनादेश समय–समय पर जारी किये गये जिनके अनुसार चिकित्सकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां भी की गयीं तथा जनपदीय पंजीयन न होने के कारण चिकित्सकों को विभिन्न अलंकरणों से सुशोभित भी किया गया (जिसमें प्रमुख रुप से झोला–छाप का नाम खूब प्रचलित हुआ और आज भी है) जिसके कारण समाज में इस प्रकार के चिकित्सकों की खूब बदनामी भी हुयी, सरकारी कार्यवाही में चिकित्सकों का दोष मात्र इतना था कि उन्होंने बिना किसी जाँच पड़ताल के उन संस्थाओं से प्रमाण– पत्र धारण किये जो स्वंय प्रमाण–पत्र देने के लिये अधिकृत नहीं थीं, ऐसे प्रमाण–पत्र धारक चिकित्सकों की संख्या देश में इतनी हो गयी है कि इनकी गणना सुगमता से नहीं की जा सकती है, इन प्रमाण–पत्र धारकों को जो प्रमाण–पत्र दिये गये हैं उन प्रतिष्ठानों का भी कोई अता पता नहीं है, आये दिन उनकी आड़ में सीधे–साधे चिकित्सकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वैसे देखा जाये तो बात कुछ अच्छी भी है कि प्रदेश में जो चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं उनका हिसाब–किताब तो होना ही चाहिये यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिकृत एवं अनाधिकृत में कैसे अन्तर किया जायेगा, यहां उत्तर प्रदेश में बात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिये किसी भी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरुप जनपदीय पंजीयन पहले सी0एम0ओ0 कार्यालय में सभी वर्ग व सभी श्रेणी के चिकित्सकों/चिकित्सा प्रतिष्ठानों का होता था जिसके कारण ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में लम्बी लाइनें व अनावश्यक समय नष्ट होता था इन सबका संज्ञान लेते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जनपदीय पंजीयन हेतु समुचित व सुगम व्यवस्था की जाये जिससे चिकित्सक व प्रतिष्ठानों को पंजीकरण करानें में कठिनायी न हो तथा रोगियों को समय से उनके द्वारा कराये गये इलाज के अभिलेख भी प्राप्त हो सकें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये राज्य सरकार के आयुष अनुभाग–1 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या–1297/71–आयु0–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 जारी किया जिसके अनुसार जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा केवल एलोपैथी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी तथा ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा होम्योपैथी पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों/चिकित्सा प्रतिष्ठानों का पंजीयन किया जा रहा है।

विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये पूर्व में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भी जनपदीय पंजीयन हेतु आवेदन किये थे।

उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2016 तथा चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 जनवरी, 2012 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करने वाले अधिकृत चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा नियुक्त ज़िला प्रभारी/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

धीरे – धीरे ही सही ..... प्रथम पेज से आगे

प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा, आपको यह भी बताना अनुचित न होगा कि इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा क्रमशः दिनांक 02 सितम्बर, 2013 एंव 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं, इस आदेश में राज्य सरकार ने पुनः स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में वह केन्द्र सरकार के आदेश का पालन करेगी जैसा कि उसने 21 जून, 2011 के आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश के क्रियान्वयन हेतु 04 जनवरी, 2012 का आदेश जारी किया है अर्थात राज्य सरकार पूरी तरह आश्वस्त करना चाहती है कि आप नियमानुसार कार्य करते रहें निश्चित तौर पर आपको विनियमित किया जायेगा।

राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का नियन्त्रण राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना है जबकि नियमन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा, ऐसी स्थिति में देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं का दायित्व बन जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भरपूर विकास करें तथा सर्वजन को इसकी चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का यथा सम्भव प्रयास करें यदि वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर वह अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त करने में कोई कमी न रहने पाये।

राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी संदेश मिलता है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अवरोध एवं बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं है, सरकार के इस मंतव्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं को मात्र कार्य पर फोकस करना चाहिये इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके विपरीत यदि वह आदत के अनुसार पुनः कोई प्रयास करेंगे तो वह अपने आपको पीछे ही ढकेलेंगे।

अस्तु प्रदेश की ही नहीं अपितु देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं विकास में पूर्ण तन्मयता से लग जाना चाहिये एवं जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं आता है तब तक निश्चिन्त होकर कार्य करना चाहिये, इसका मंत्र राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश के माध्यम से आपको दिया जा चुका है, केन्द्र सरकार से जो भी निर्णय आयेगा वह ठीक ही होगा क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि सरकार का दृष्टिकोण 21 जून, 2011 के आदेश के अनुरूप आज भी है सम्भवतः आने वाला आदेश भी इसी प्रकार होगा, वर्तमान में माननीय न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 की सेमेस्टर परीक्षायें 23 जून से प्रारम्भ

समस्त समन्वयक/व्यवस्थापक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/मेडिकल इन्सटीट्यूट/स्टडी सेन्टर/ गाइडेन्स सेन्टर सम्बद्ध बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 को सूचित किया जाता है कि जून 2026 की **F.M.E.H.** की सेमेस्टर परीक्षायें आगामी 23 जून, 2026 (मंगलवार) से प्रस्तावित हैं।

जून, 2026 का परीक्षा कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION JUNE 2026

Name of the course	23rd June, 2026 Tuesday	24th June, 2026 Wednesday	25th June, 2026 Thursday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy & Philosophy	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science
F.M.E.H. 3rd. Semester	Ophthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynecology	Materia Medica	Practice of Medicine

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Registrar
Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014

Email: registrarbehmup@gmail.com

आवश्यक सूचना

निम्न जनपदों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित हैं।

आवेदन का प्रारुप वेबसाइट **www.behm.org.in** के **link Job & Employment** से डाउनलोड कर सकते हैं –

अम्बेदकर नगर, अमेठी, बांदा, बरेली, बस्ती, बुलन्द शहर, एटा, इटावा, कुशी नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, मैनपुरी, प्रतापगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूँ, चन्दौली, सन्त कबीर नगर, मुजफ्फर नगर, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, गाज़ीपुर, कन्नौज, गौतमबुद्धनगर, गाज़ियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, झाँसी, ज्योतिबा फूलेनगर, कासगंज, कौशाम्बी, ललितपुर, मथुरा, महोबा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, सुलतानपुर, सम्भल, शाहजहाँपुर, वाराणसी, सन्तकबीर नगर, सन्त रविदास नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र।

रजिस्ट्रार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 ''एस'' जूही,कानपुर–208014

Email: registrarbehmup@gmail.com

सूचना

पिछले कुछ दिनों से निरन्तर ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि प्रदेश में अनेकों चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ–साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियां भी व्यवहार में ला रहे हैं, ऐसा कार्य करना अवैधानिक की श्रेणी में तो आता ही है साथ–साथ आपकी प्रैक्टिस भी सन्देह की श्रेणी में आ जाती है।

प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपनी ही चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करे ऐसी अपेक्षा की जाती है, ज्ञातव्य हो कि प्रदेश में प्राइवेट चिकित्सकों की जाँच चल रही है ऐसे में यदि आपके पास वैध रजिस्ट्रेशन तथा जिला पंजीयन प्रमाण–पत्र नहीं है और आप चिकित्सा व्यवसाय करते हुये पाये जाते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है, ज़िला पंजीयन प्रमाण–पत्र निःशुल्क जारी किया जाता है इसके लिये आपके पास वैध रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

ज़िला पंजीयन हेतु आवेदन पत्र व शपथ पत्र का प्रारुप वेबसाइट **www.behm.org.in** से डाउनलोड कर सकतें हैं।

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।